



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022026-270118  
CG-DL-E-13022026-270118

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 13, 2026/माघ 24, 1947

No. 739]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 13, 2026/MAGHA 24, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2026

का.आ. 777(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा उक्त तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में, कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट सीमा तक, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का शीर्षक	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	फ्लेम-उत्पन्न करने वाले लाइटर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 दिनांक 5 जुलाई, 2023	उक्त आदेश में, पैरा-2 में, उप-पैरा (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

		<p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
2.	<p>पेयजल की बोतलें (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 दिनांक 5 मार्च, 2024</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
3.	<p>वैलिंग रॉड और इलेक्ट्रोड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 दिनांक 14 जुलाई, 2023</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, दूसरे परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
4.	<p>घरेलू उपयोग के लिए इंसुलेटेड फ्लास्क, बोतलें और कंटेनर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 दिनांक 5 मार्च, 2024</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
5.	<p>इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 दिनांक 9 अगस्त, 2023</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>

<p>6. प्रयोगशाला ग्लासवेयर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 दिनांक 1 जनवरी, 2024</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
<p>7. एयर कूलर और एयर फिल्टर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 30 जनवरी, 2025</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>
<p>8. फर्नीचर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 दिनांक 13 फरवरी, 2025</p>	<p>उक्त आदेश में, पैरा-2 में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -</p> <p>बशर्ते कि इस आदेश में कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के उद्यम पोर्टल के तहत पंजीकृत ऐसे उद्यम द्वारा विनिर्मित वस्तुओं या सामग्री पर लागू नहीं होगा, जिसमें वास्तविक लागत पर संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश, एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और कारोबार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किए गए अनुसार पिछले वित्त वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।</p>

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. पी-29014/188/2025-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)**

**ORDER**

New Delhi, the 12th February, 2026

**S.O. 777(E).**— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest, after consulting the Bureau hereby makes the following amendments in the Quality Control Orders specified in column (2) to the extent specified in the corresponding entries in column (3), of the said Table, namely :-

**TABLE**

SI No.	Title of Quality Control Order	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	Flame-Producing Lighters (Quality Control) Order, 2023 dated 5 <sup>th</sup> July, 2023	In the said Order, in paragraph-2, for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely: -  Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.
2.	Potable Water Bottles (Quality Control) Order, 2024 dated 5 <sup>th</sup> March, 2024	In the said Order, in paragraph-2, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -  Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.
3.	Welding Rods and Electrodes (Quality Control) Order, 2023 dated 14 <sup>th</sup> July, 2023	In the said Order, in paragraph-2, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -  Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under the Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.
4.	Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Order, 2024 dated 5 <sup>th</sup> March, 2024	In the said Order, in paragraph-2, for the second proviso the following proviso shall be substituted, namely:-  Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.

5.	Electric Ceiling Type Fans (Quality Control) Order, 2023 dated 9 <sup>th</sup> August, 2023	<p>In the said Order, in paragraph-2, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-</p> <p>Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.</p>
6.	Laboratory Glassware (Quality Control) Order, 2023 dated 1 <sup>st</sup> January, 2024	<p>In the said Order, in paragraph-2, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :-</p> <p>Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.</p>
7.	Air Cooler and Air Filters (Quality Control) Order, 2025 dated 30 <sup>th</sup> January, 2025	<p>In the said Order, in paragraph-2, for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-</p> <p>Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.</p>
8.	Furniture (Quality Control) Order, 2025 dated 13 <sup>th</sup> February, 2025	<p>In the said Order, in paragraph-2, for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely :-</p> <p>Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured by an enterprise, registered under Udyam Portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed rupees one crore and the turnover do not exceed rupees five crore for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.</p>

2. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. P-29014/188/2025-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.